

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, झांसी।

पत्रांक /जि0प्रो0का0/स0बा0सं0यो0/विज्ञापन/2019-20/दिनांक

महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार से सहायतित समेकित बाल संरक्षण सेवाये अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण के संचालन हेतु विभिन्न पदों के लिये रिक्तियों की विज्ञापित।

महिला कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार समेकित बाल संरक्षण सेवाये के अन्तर्गत जनपद झांसी में जिला बाल संरक्षण के लिये निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन पत्र निदेशक महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3007/60-1-12-1/13 (71)/06 दिनांक 04 सितम्बर 2012 के अनुसार आमंत्रित किये जा रहे है।

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	नियत मानदेय	अपेक्षित योग्यताएं/दक्षता	पदों की प्रकृति/भर्ती का स्रोत	आयु सीमा
01	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक)	01	21000/- प्रतिमाह	01-भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक-कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। अनुभव- 01-बच्चों की देखरेख संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 02-हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 03-कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	अस्थायी/चयन प्रक्रिया द्वारा संविदा पर/संबंधित कार्मिक का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।	25 वर्ष से 45 वर्ष तक
02	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक)	01	21000/- प्रतिमाह	01-भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक-कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। अनुभव- 01-बच्चों की देखरेख संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 02-हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 03-कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	अस्थायी/चयन प्रक्रिया द्वारा संविदा पर/संबंधित कार्मिक का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।	25 वर्ष से 45 वर्ष तक
03	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	01	21000/- प्रतिमाह	01-भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक-कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। अनुभव- 01-बच्चों की देखरेख संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 02-हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 03-कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	अस्थायी/चयन प्रक्रिया द्वारा संविदा पर/संबंधित कार्मिक का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।	25 वर्ष से 45 वर्ष तक

समेकित बाल संरक्षण सेवाये अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक/गैर-संस्थानिक) व विधि सह परिवीक्षा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

जनपद का नाम.....
 पद कोड.....
 आवेदित पद का नाम.....
 अभ्यार्थी का नाम.....
 पिता/पति का नाम.....
 माता का नाम.....
 आयु (01-10-2019).....वर्ष.....माह.....दिन
 जन्म तिथि (शब्दों में)
 जाति.....लिंग.....राष्ट्रीयता.....
 ई-मेल आईडी (यदि कोई हो).....
 पत्राचार का पता.....
 स्थाई पता.....
 दूरभाष/मोबाईल नं०.....
 01-शैक्षित अर्हता-

क्र०सं०	शैक्षित योग्यता	कालेज/विश्व विद्यालय/संस्था का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	हाईस्कूल						
2.	इण्टरमीडिएट						
3.	स्नातक						
4.	परास्नातक						
5.	कम्प्यूटर दक्षता						
6.	अन्य						

02- Work Experience (वर्तमान स्थिति) (Attach all relevant certificates as enclosure)

क्र०सं०	संगठन का नाम	किस पद पर कार्य किया गया	पद पर कार्य की अवधि	कार्य की प्रकृति

आवश्यक निर्देश एवं शर्तें-

- 01-उपरोक्त पदों का चयन लिखित अथवा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
- 02-सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजेंगे।
- 03-समस्त शैक्षित योग्यता/अनुभव एवं अन्य अर्हताओं आदि का उल्लेख करते हुए इनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट अंकित करें।
- 04-आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15-11-2019 की सायं 05 बजे तक होगी। समस्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से जिला प्रोवेशन कार्यालय, कलकट्टे कम्पाउण्ड, कचहरी चौराहा, झांसी के पते पर भेजे जायेगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 05-आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 06-पृथक-पृथक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जायेगा।
- 07-साक्षात्कार हेतु आने-जाने का कोई भी यात्रा भत्ता नहीं होगा।
- 08-डाक में विलम्ब के कारण साक्षात्कार के लिये बुलाया पत्र देरी से/प्राप्त नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 09-चयन समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 10-साक्षात्कार में बुलावा हेतु अपना स्पष्ट नाम पता लिखा हुआ एक लिफाफा (पंजीकृत पत्र हेतु आवश्यक डाक टिकट सहित अवश्य संलग्न करें)
- 11-उपरोक्त नियुक्तियां आपके कार्य व्यवहार एवं कार्या के मूल्यांकन के आधार अथवा अन्य कारणों से जिलाधिकारी झांसी द्वारा बिना कारण बताये आपकी सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- 12-चयन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों को ही चयन की सूचना प्रेषित की जायेगी।
- 13-उक्त नियुक्ति पूर्णता: अस्थाई है जिसके स्थाईकरण के लिये अभ्यार्थी/आवेदककर्ता भविष्य में कोई भी दावा पेश नहीं करेगा। उ०प्र० शासन/महिला एवं बाल विकास/निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश/ आदेश प्रभावी होंगे।

दिनांक-

अभ्यार्थी/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर